

पैन पावर

वर्ष - 1 अंक - 1 शुक्रवार, जुलाई 3, 2026

विशारवापट्टनम

हैदराबाद संपादक: गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

मंत्री शिवराज, मुख्यमंत्री नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया

‘वीबी-जी राम जी’ योजना का शुभारंभ



(पैन पावर न्यूज)

तिरुपति, 2 जुलाई : आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से आज देशव्यापी “विकसित भारत दृ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना” (ट-ड टू ड ल्वरेंड) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री “शिवराज सिंह

चौहान”, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री “एन. चंद्रबाबू नायडू”, उपमुख्यमंत्री “पवन कल्याण”, केंद्रीय राज्य मंत्री “डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी” और “कमलेश पासवान”, सांसद, विधायक तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री “नरेंद्र मोदी” के नेतृत्व में देश के गरीब मजदूरों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार

गारंटी की नई व्यवस्था प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही गांवों के विकास के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान और पारदर्शी प्रणाली की भी घोषणा की गई। अपने संबोधन की शुरुआत बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री “नरेंद्र मोदी” के नेतृत्व में देश के गरीब मजदूरों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार

होना गरीबों और श्रमिकों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद के समान है। उन्होंने प्रार्थना की कि देश का कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे, हर हाथ को काम मिले और हर पेट को भोजन मिले। इस संकल्प को धाराल पर उतारने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई “मनरेगा” योजना केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच के तहत “विकसित भारत दृ जी राम जी योजना” में श्रमिकों को पूरे “125 दिनों के रोजगार की गारंटी” दी गई है। यह केवल रोजगार के दिनों में वृद्धि नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी हाथ खाली न रहे। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि योजना के पहले ही दिन देशभर

में लाखों श्रमिकों को काम मिला है और मनरेगा को एक उन्नत स्वरूप देकर ‘वीबी-जी राम जी योजना’ में परिवर्तित किया गया है। योजना के वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले ही वर्ष में केंद्र सरकार का योगदान “95,000 करोड़ रुपये से अधिक” होगा। राज्यों की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी जोड़ने पर कुल वार्षिक व्यय लगभग “1.51 लाख करोड़ रुपये” तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में इस योजना पर कुल “7.5 लाख करोड़ रुपये” खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि देश की “2.86 लाख ग्राम पंचायतों” तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को औसतन “2 करोड़ रुपये से अधिक प्रति वर्ष” प्राप्त होगा। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा

कि इस योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को कानूनी मजबूती दी गई है। यदि कोई मजदूर काम की मांग करता है तो उसे “15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य” होगा। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर संबंधित श्रमिक को “बेरोजगारी भत्ता” दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब किसी को भी मजदूरों के पसीने के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। मजदूरी भुगतान में देरी की पुरानी समस्या को समाप्त करने के लिए योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। यदि मजदूरी के भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को “ब्याज सहित भुगतान” किया जाएगा। इससे मजदूरों को उनके श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा और गरीबों की सेवा को ईश्वर की पूजा मानने वाला ‘मोदी मंत्र’ धरातल पर दिखाई देगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय को



“6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत” कर दिया गया है। इसके तहत “13,000 करोड़ रुपये से अधिक” की राशि ग्राम रोजगार सहायकों, मेट्स और अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों में श्रमिकों और विकास

कार्यों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन मिलना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना कार्य कर सकें और व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इस प्रकार यह योजना श्रमिकों के साथ-साथ ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे को भी सशक्त बनाने का कार्य करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई

(पैन पावर न्यूज)

अमरावती, 2 जुलाई: आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक), निगमों और सोसायटियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है और इस संबंध में सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पहले मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुरूप सरकार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। सरकारी आदेश के अनुसार यह निर्णय 1 जनवरी 2022 से पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू माना जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों को दोबारा सेवा में शामिल होने



का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, पुनः नौकरी में शामिल होने तक की अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, इस अंतराल अवधि को वरिष्ठता (सीनियरिटी) और पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए नहीं माना जाएगा। अदालत के निर्देशों के अनुसार, 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहे कर्मचारियों को पूर्ण सेवा

लाभ प्रदान किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पुनः सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं, उन पर पूर्व की सेवानिवृत्ति संबंधी नियम ही लागू रहेंगे। इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने संबंधित संस्थाओं को अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन

करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पीएसयू, निगमों और सोसायटियों को तत्काल यह आदेश भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं।

माविगन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो शून्य पर सिमट जाएंगे जगन पर मंत्री गोदृपाटी की टिप्पणी

(पैन पावर न्यूज)

अमरावती, 2 जुलाई: आंध्र प्रदेश के मंत्री गोदृपाटी रवि कुमार ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली थीं और यदि अब वे “माविगन” जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे, तो उनकी सीटें शून्य तक सिमट जाएंगी। गुरुवार को टीडीपी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित शिकायत निवारण कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंत्री ने यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन राज्य को बर्बाद करने के इरादे से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई, जबकि अपने लिए 450 करोड़ खर्च करके एक महल का निर्माण कराया गया। गोदृपाटी रवि कुमार ने कहा कि अमरावती के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर जगन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अमरावती के लिए 33,000 एकड़ भूमि की मांग स्वयं जगन ने की थी और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने अमरावती में अपना घर बनाया है। मंत्री ने कहा कि जनता ने इसी कारण वाईएसआरसीपी को सबक सिखाया और पार्टी को केवल 11 सीटों तक सीमित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।



दूसरों को खुशहाल देखना जगन को बर्दाश्त नहीं होता : मंत्री कोल्लू रविंद्र

(पैन पावर न्यूज)

कृष्णा जिला : आंध्र प्रदेश के मंत्री कोल्लू रविंद्र ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं जगन राज्य के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि चंद्रबाबू राज्य के विकास और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जगन राजनीतिक उद्देश्य से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को जगन द्वारा की गई टिप्पणियां उनके सोचने के तरीके का उदाहरण हैं। रविंद्र ने तंज करते हुए कहा कि कभी जगन अमरावती को राजधानी बताते हैं, तो कभी कहते हैं कि “नहीं, हमारा स्टैंड माविगन है।”

कोल्लू रविंद्र ने लोगों से अपील की कि वे वाईएसआरसीपी प्रमुख की बदलती हुई राजनीतिक स्थितियों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पार्टी अमरावती के समर्थन की बात करती थी, लेकिन चुनावों से पहले और बाद में तीन राजधानियों के मुद्दे पर राजनीति करती रही। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को जनता ने केवल 11 सीटों तक सीमित कर दिया। मंत्री ने आलोचना करते हुए कहा कि अब जगन “माविगन” की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति नहीं देख सकता, वही इस तरह का व्यवहार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जगन कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। रविंद्र ने आरोप लगाया कि हाल ही में जगन ने अपने समर्थकों को सीआरडीए



संरक्षण समिति के नाम पर राजधानी क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भेजा था। उन्होंने दावा किया कि वहां के किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें वापस भेज दिया। मंत्री ने सवाल किया कि क्या जगन इसी तरह के राजनीतिक नाटक जारी रखकर क्षेत्रों के बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन लोगों, जातियों और धर्मों

के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। राज्य के लोगों से स्थिति पर ध्यान देने की अपील करते हुए रविंद्र ने कहा कि जगन पहले तीन राजधानियों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर केवल 11 सीटों तक सीमित रह गए थे। उन्होंने टिप्पणी की कि यदि वे “माविगन” के मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे, तो जनता उन्हें शून्य सीटों तक सीमित कर देगी।

मेरे साथ चलने वालों को मैं कभी नहीं भूलंगा : मंत्री लोकेश

(पैन पावर न्यूज)

अमरावती, 2 जुलाई : आंध्र प्रदेश के शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि वे अपनी युवा गलम पदयात्रा के दौरान उनके साथ चलने वाले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलेंगे। गुरुवार को लोकेश ने तिरुपति में कम्मा कल्याण एवं विकास निगम के अध्यक्ष नादेन्द्रला ब्रह्म चौधरी के विवाह समारोह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने युवा गलम टीम के सदस्यों से आत्मीयता से मुलाकात की और पदयात्रा के दिनों की यादें ताजा कीं। लोकेश ने लगभग 15 मिनट तक कार्यकर्ताओं से बातचीत की और युवा गलम की सफलता में टीडीपी कार्यकर्ताओं की



महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में कथित दमन और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करते हुए पदयात्रा को सफल बनाने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “कार्यकर्ता ही नेता हैं” के सिद्धांत के साथ

टीडीपी अपने कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लोकेश ने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार है। इस अवसर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश में 20 लाख रोजगार सृजित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत जाँच कैलेंडर जारी करना,

शिक्षकों के पदों को भरना तथा कोर्स्टेबल भर्ती जैसे कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस अवसर पर उन्होंने दोहराया कि युवा गलम पदयात्रा के माध्यम से बना संबंध स्थायी है और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा।

संपादकीय

‘त्रिशंकु’ में फंसे त्रिभाषा के विद्यार्थी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रस्ताव का छात्रों के अभिभावकों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक ओर नीति यह स्वीकार करती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक ज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर त्रिभाषा सूत्र के तहत दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य बनाती है। यही विरोधाभास विवाद का मुख्य कारण है। एक ही नीति में अंग्रेजी को वैश्विक भाषा के रूप में स्वीकार करना और साथ ही दो भारतीय भाषाएँ सीखने की अनिवार्यता लागू करना परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं। अनेक अभिभावकों और शिक्षाविदों का मानना है कि इन दोनों नीतियों को एक साथ लागू करने से छात्रों का भविष्य ‘त्रिशंकु’ की स्थिति में फंस सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यदि कोई छात्र अंग्रेजी के साथ फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसे वह अवसर मिलता है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत उसे एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य होगा, भले ही वह उसके लिए पूरी तरह नई क्यों न हो। इससे विद्यार्थियों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ने की आशंका है। कई छात्र कंप्यूटर कोडिंग, गणित, विज्ञान या अन्य आधुनिक विषयों में अधिक समय देना चाहते हैं। लेकिन त्रिभाषा व्यवस्था के कारण उन्हें हिंदी, संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना पड़ सकता है। कुछ अभिभावकों का तर्क है कि अतिरिक्त भाषा सीखने में लगने वाला समय और ऊर्जा गणित, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के अध्ययन में लगाई जाए तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाना है और कक्षा 7, 8 तथा 9 में भी छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी, जिनमें दो भारतीय भाषाएँ शामिल होंगी। ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र अंग्रेजी के साथ फ्रेंच पढ़ रहा है, तो उसे फ्रेंच छोड़कर किसी भारतीय भाषा का चयन करना पड़ सकता है। यह स्थिति विद्यार्थियों की दसवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अभिभावकों और छात्र संगठनों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया निर्णय लिया है। इसके अनुसार कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थी अपनी पहले से पढ़ी जा रही विदेशी भाषाएँ, जैसे फ्रेंच या जर्मन, जारी रख सकेंगे। उन्हें केवल एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़नी होगी। इस व्यवस्था से छात्र दसवीं कक्षा तक अपनी पसंद की भाषा संयोजन को बनाए रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, नई जोड़ी गई तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। उसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक अंकों के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार सीबीएसई अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लेते समय केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषा शिक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार और अवसर प्राप्त करने में मदद करे। यदि अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का अध्ययन आवश्यक है, तो उसे सरल और प्रभावी ढंग से सिखाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में विज्ञान और गणित की पाठ्यपुस्तकों को द्विभाषी रूप में तैयार किया जा सकता है, जहाँ एक पृष्ठ पर अंग्रेजी और दूसरे पृष्ठ पर तेलुगु या अन्य मातृभाषा में सामग्री दी जाए। केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर डिजिटल वीडियो, चित्र और अन्य आधुनिक शिक्षण सामग्री भी विकसित की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के लिए सीखना अधिक सरल और प्रभावी बन सके। भारत में त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा पहली बार 1968 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि छात्र विद्यालय स्तर पर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प 1968 के माध्यम से इसे लागू किया गया। उस समय हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (मुख्यतः दक्षिण भारतीय भाषा) तथा गैर-हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और विशेष रूप से तमिलनाडु में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इस नीति में कई संशोधन किए गए। वर्तमान में तमिलनाडु में त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई कानूनी बाध्‍यता नहीं है, बल्कि राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा है। सरकार का कहना है कि किसी भी भाषा को किसी पर थोपने का उद्देश्य नहीं है। इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और बहुभाषिकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। फिर भी, भाषा नीति को लागू करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर, ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। यदि भाषा सीखना उनके विकास में सहायक बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि वह अतिरिक्त बोझ बन जाए, तो नीति निर्माताओं को उसके व्यावहारिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना होगा।

भारत और जापान को इंडो-पैसिफिक की नई परिकल्पना को आगे बढ़ाना चाहिए

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा “इंडो-पैसिफिक कमांड” का नाम बदलकर फिर से “पैसिफिक कमांड” करने के निर्णय को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अमेरिका की घटती प्रतिबद्धता का संकेत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे महज एक प्रशासनिक बदलाव बताकर खारिज कर रहे हैं। वास्तव में, दोनों ही दृष्टिकोण बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने में असफल हैं। इस निर्णय को अमेरिका की अपनी रणनीतिक और राष्ट्रीय पहचान की खोज के व्यापक संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” (ड।।।) आंदोलन ने लगातार अमेरिका को उस दौर से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का स्वर्णिम काल मानते हैंकृएक ऐसा समय जब अमेरिका सैन्य शक्ति, आर्थिक आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व के मामले में अद्वितीय था। “डिपार्टमेंट ऑफ वॉर” जैसे पुराने नामों को पुनर्जीवित करने तथा ऐतिहासिक कल्पने के प्रस्ताव भी इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य दुनिया में अमेरिका की भूमिका की पुरानी अवधारणा को पुनर्स्थापित करना है। इस परियोजना से सहमत होना या न होना अलग बात है। महान शक्तियों समय-समय पर अपने भविष्य को आकार देने के लिए अपने इतिहास की ओर लौटती हैं। आज अमेरिका भी यही कर रहा है। ऐसे में भारत और जापान को अमेरिकी सैन्य कमान के नाम पर बहस में उलझने के बजाय एक अलग निष्कर्ष निकालना चाहिए। यदि वाशिंगटन अपनी रणनीतिक कथा को पुनर्परिभाषित कर रहा है, तो इंडो-पैसिफिक विचार के मूल शिल्पकारों को

भी अपनी अवधारणा को पुनः सशक्त और प्रासंगिक बनाना चाहिए। आधुनिक इंडो-पैसिफिक अवधारणा की उत्पत्ति वाशिंगटन में नहीं हुई थी। इसे सबसे प्रभावशाली रूप से जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रस्तुत किया था। उनके “दो समुद्रों के संगम” (ब्दसिनमदबम वी जीम जू ैमे) के विचार ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक और सम्यतागत क्षेत्र के रूप में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दृष्टि को अपनाया और समुद्री सहयोग से लेकर क्वाड (क्वॉक) जैसी पहलों के माध्यम से इसे व्यावहारिक रूप दिया। हालाँकि, जैसे-जैसे इंडो-पैसिफिक अवधारणा को वैश्विक महत्व मिला, उसका अर्थ धीरे-धीरे सीमित होता गया। इसे मुख्य रूप से सैन्य गठबंधनों, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और चीन के उदय की चुनौती के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। निस्संदेह, ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कभी भी इंडो-पैसिफिक की संपूर्ण परिभाषा नहीं थे। मूल दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरी थी। इंडो-पैसिफिक केवल एक भू-राजनीतिक मंच नहीं है। यह दुनिया के सबसे पुराने परस्पर जुड़े सम्यतागत क्षेत्रों में से एक है। दो हजार वर्षों से भी अधिक समय तक भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और जापान को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों ने केवल वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि विचारों, धर्मों, प्रौद्योगिकियों, कला परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों का भी आदान-प्रदान किया। बौद्ध धर्म भारत से पूरे एशिया में फैला। हिंदू सांस्कृतिक प्रभावों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक राज्यों को आकार दिया। चीनी सम्यता ने व्यापार, शिक्षा, नवाचार और समुद्री संपर्कों के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाया। इन



सभी परस्पर संबंधों ने आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के उदय से बहुत पहले एक स्थायी एशियाई समुदाय का निर्माण किया था। यह साझा विरासत आज भी एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। इंडो-पैसिफिक की किसी भी सार्थक सम्यतागत अवधारणा में चीन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान रणनीतिक मतभेद वास्तविक हैं और कई मामलों में गंभीर भी हैं। उनका प्रबंधन स्पष्टता और यथार्थवाद के साथ किया जाना चाहिए। फिर भी, यह भी सत्य है कि चीन सदियों तक एशिया के ऐतिहासिक आदान-प्रदान का अभिन्न हिस्सा रहा है। इस विरासत को स्वीकार करने का अर्थ वर्तमान मतभेदों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि केवल प्रतिद्वंद्विता के आधार पर एक स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रह सकती है, लेकिन उसे इंडो-पैसिफिक का मुख्य आधार नहीं बनना चाहिए। आज अमेरिका और यूरोप दोनों अपनी सम्यतागत पहचान को लेकर गहन विमर्श में लगे हुए हैं। इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय उद्देश्य और रणनीतिक दिशा जैसे प्रश्न घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। यह आत्ममंथन न तो असामान्य है और न ही अवांछनीय। महान शक्तियाँ समय-समय पर स्वयं को पुनर्परिभाषित करती हैं। भारत और जापान को भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट एशियाई दृष्टिकोण के साथ। उन्हें बहिष्कार पर आधारित नहीं, बल्कि जुड़ाव पर आधारित सम्यतागत कथा का निर्माण करना चाहिए। इंडो-पैसिफिक को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में समझा जाना चाहिए जो सदियों के संपर्कों से जुड़ा हुआ है और जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए विविधता को समाहित करने में सक्षम है। ऐसा दृष्टिकोण दक्षिण-पूर्व एशिया को इंडो-पैसिफिक विमर्श के केंद्र में उसकी उचित जगह दिलाएगाकृएक ऐसी जगह जहाँ वह महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं, बल्कि हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच ऐतिहासिक सेतु के रूप में देखा जाए। इसलिए, इंडो-पैसिफिक की नई परिकल्पना कई स्तरों पर आधारित होनी चाहिए। सुरक्षा सहयोग अनिवार्य रहेगा। आर्थिक एकीकरण को

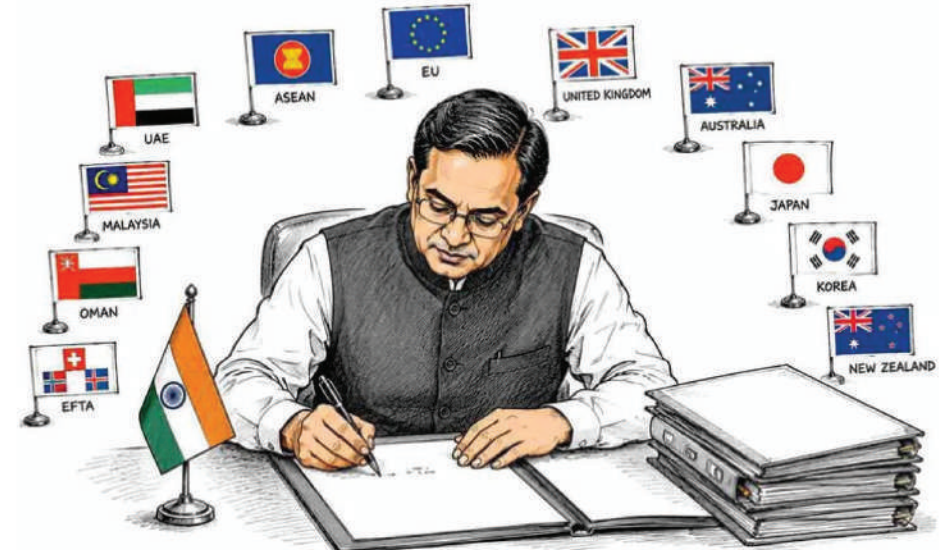
आगे बढ़ाना होगा। तकनीकी सहयोग का महत्व लगातार बढ़ेगा। लेकिन इन सभी को शिक्षा, समुद्री विरासत, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बौद्ध और ऐतिहासिक नेटवर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल संपर्क और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग से मजबूत किया जाना चाहिए। सम्यता को रणनीति का स्थान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे समृद्ध करना चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की नई दिल्ली यात्रा इस चर्चा को आगे बढ़ाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है। रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग भले ही द्विपक्षीय एजेंडे में प्रमुख हों, लेकिन दोनों नेताओं को यह भी विचार करना चाहिए कि भारत और जापान मिलकर इंडो-पैसिफिक अवधारणा की उन व्यापक बौद्धिक और सम्यतागत नींवों को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जिनके निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद प्लोरिडा में होने वाला जी-20 शिखर सम्मेलन इस वैकल्पिक दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है। भारत और जापान को अमेरिका से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके

विपरीत, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वाशिंगटन के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडो-पैसिफिक की परिभाषा केवल अमेरिकी रणनीतिक शब्दावली या विभिन्न अमेरिकी प्रशासन की बदलती प्राथमिकताओं तक सीमित न रह जाए। अमेरिका अपने इतिहास और राजनीतिक विकल्पों के आधार पर दुनिया में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करता रहेगा। यह स्वाभाविक और अपरिहार्य है। भारत और जापान को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उनका लक्ष्य किसी पुराने युग को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि एक नए युग का निर्माण करना होना चाहिएकृएक ऐसा इंडो-पैसिफिक जो रणनीतिक रूप से सुरक्षित, आर्थिक रूप से गतिशील और सम्यतागत रूप से आत्मविश्वासी हो। “पैसिफिक कमांड” पर चल रही बहस समय के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन इंडो-पैसिफिक विचार को नए सिरे से जीवंत बनाने का अवसर नहीं खोना चाहिए। यह अवधारणा एशिया में जन्मी थी और इसका अगला अध्याय भी एशिया में ही लिखा जाना चाहिए।

”भारत का मुक्त व्यापार समझौता अभियान”

पिछले पाँच वर्षों में भारत की व्यापार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चार ईएफटीए देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद संपन्न हुआ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाल ही में हस्ताक्षरित नौ एफटीए अगले दस महीनों में पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जबकि तीन से चार अन्य समझौते अभी बातचीत के चरण में हैं। वर्तमान में भारत के 15 एफटीए 27 देशों के साथ लागू हैं, जो उसके कुल व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद पहली बार भारत ने इतने व्यापक स्तर पर व्यापारिक एकीकरण देखा है और अब उसे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपने उत्पादों के लिए प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच उपलब्ध है। भारत-यूईई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता मई 2022 में लागू हुआ, जिसके तहत वस्त्र, रत्न एवं आभूषण,

भारतीय औषधियों, आईटी सेवाओं, वस्त्रों, रसायनों और कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों की प्राथमिकता प्राप्त पहुंच भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को दीर्घकाल में मजबूत करेगी। व्यापार घाटा: व्यापक संदर्भ में आलोचकों का तर्क है कि व्यापार समझौते अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं क्योंकि उन्होंने साझेदार देशों के साथ व्यापार घाटे को बढ़ाया है। हालांकि, आंकड़ों को अधिक सावधानी से समझने की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ औसतन 62 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार घाटा दर्ज किया है। लेकिन इन आयातों का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पूंजीगत उपकरण और विशेष रसायनों जैसे औद्योगिक कच्चे माल का है, जो घरेलू विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं। भारत का माल निर्यात 2021-22 के 314 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 441.7 अरब डॉलर हो गया, जो 40.6 प्रतिशत की वृद्धि है। वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 2025-26 में 860 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सरकार 2030 तक 1



ट्रिलियन डॉलर के माल निर्यात के विदेशी व्यापार नीति 2023 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें इन एफटीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपयोग और संरचनात्मक चुनौतियाँ भारतीय निर्यातकों द्वारा एफटीए का उपयोग अभी भी अपनी पूरी क्षमता से कम है। इसे सुधारने के लिए “ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म” की स्थापना की गई है, जिससे निर्यातकों को एफटीए के लाभों की जानकारी मिल सके। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तक पहुंच बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि छोटे निर्यातक भी इन व्यापारिक अवसरों का लाभ उठा सकें। भारत को कई क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक होता है, जिससे देश में उत्पादन महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे

कच्चे माल पर 7.5 से 10 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगता है, जबकि इन्हीं से बने मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और इंजीनियरिंग उत्पाद के साथ हुए एफटीए के तहत कम या शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। नीतिगत ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए जहां कच्चे माल की आयात लागत तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है।

